संख्या-06 /2021/233 जेएल/22-3-2021-100(131)/2015

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 14 फरवरी, 2021*

विषय- जिला कारागार चित्रकूट के विचाराधीन बंदी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र श्री रूद्र प्रताप सिंह को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध विचाराधीन बंदी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र श्री रूद्र प्रताप सिंह, जनपद-आजमगढ़ का मूल निवासी है। पूर्व में उक्त बंदी जिला कारागार आजमगढ़ में ही निरूद्ध था, जहां से उसे कारागार विरोधी गतिविधियों के कारण जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 10.09.2015 द्वारा जिला कारागार जौनपुर तथा शासनादेश संख्या-312/2015/3705जेएल/22-3-15-100(131)/2015, दिनांक 26.11.2015 द्वारा प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार जौनपुर से जिला कारागार बरेली स्थानान्तरित किया गया। क्रिमि0 रिट याचिका सं0-9598/2016-ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-12-2017 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-18/2018/560जेएल/22-3-18-100(131)/2015, दिनांक 04.04.2018 द्वारा प्रश्नगत बंदी को जिला कारागार बरेली से जिला कारागार बलिया एवं शासनादेश संख्या-82/2019/3622जेएल/22-3-19-100(131)/2015, दिनांक 02.09.2019 द्वारा प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार बलिया से जिला कारागार चित्रकूट स्थानान्तरित किया गया, परन्तु बंदी वर्तमान में जिला कारागार आजमगढ़ में ही निरूद्ध है।

2- उक्त बंदी के विरूद्ध जनपद-आजमगढ़ में वाद संख्या-जीटी नं0-17/2014 में मा0 न्यायालय, विषेश न्यायाधीश गैंगेस्टर/अपर न्यायाधीश कोट नं0-4, आजमगढ़ के समक्ष विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर क्रिमिनल मिस0 बेल एप्लीकेशन नं0-7427/2019 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2019 का कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

> "It is observed that the trial court shall frame the charge against the applicant within a period of one month and expedite the proceedings of the trial and conclude the same within a period of one year from the date of production of a certified copy of this order before it."

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के दृष्टिगत मा0 न्यायालय, विषेश न्यायाधीश गैंगेस्टर/अपर न्यायाधीश कोर्ट नं0-4, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 17.12.2019 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं-

''आवेदक/अभियुक्त ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 17.12.2019 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के जी0टी0 सं0-17/14 धारा-3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर एवं मु0अ0सं0-348/13 अन्तर्गत धारा-147, 302, 120बी भा0द0वि0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़ के मुकदमें के निस्तारण तक उसे जिला कारागार आजमगढ़ में ही रखा जाय। जिला कारागार अधीक्षक को आदेश की प्रति मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के साथ संलग्न करके प्रेषित की जाय।''

उपर्युक्त आदेश के क्रम में विचाराधीन बंदी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह वर्तमान में जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध है।

4- मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर/अपर न्यायाधीष कोर्ट नं0-4, आजमगढ़ के उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में अपील/रिवीजन योजित किये जाने की अनुमति न्याय विभाग के आदेश दिनांक 11.01.2021 के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दिनांक 02.02.2021 में अपील/रिवीजन दाखिल कर दी गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों में जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र. श्री रूद्र प्रताप सिंह को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किया जा सकता है अथवा नहीं, के बिन्दु पर न्याय विभाग का बहुमूल्य परामर्श प्राप्त किया गया, जिसके संगत अंश निम्नवत हैः-

सुन्दर भाटी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य CRIMINAL MISC. WRIT PETITION NO. 7030 OF 2015 के मामले में यह मत व्यक्त किया गया है कि:-

> 40. Considering the facts and circumstances of the case in their totality/entirety, we hold that :
>
> 3. In the light of the directions in para 27 of the decision in State of Maharashtra's case, the matter relating to the transfer of undertrial prisoners from one jail to another in Uttar Pradesh be considered and decided by the Administrative/Jail Authorities in judicial manner after taking all relevant facts into consideration and providing opportunity of hearing to the concerned detenue. 43 Needless to say that the courts concerned will also decide the matters pertaining to the permission for transfer of a detenue from one jail to another in judicial manner as stated above.

6- उक्त के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, लखनऊ के पत्र संख्या- सीए/सीपी-67/2021/284, दिनांक 13-2-2021 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में आख्या उपलब्ध करायी गयी , जिसमें यह अवगत कराया गया है कि अभियुक्त ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह, निवासी जनपद-आजमगढ़ के विरूद्ध जनपद आजमगढ, मऊ, जौनपुर व लखनऊ में 69 अभियोग पंजीकृत है, जिनमें से जनपद आजमगढ़ के कई अभियोग में वह जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध है, जहां वह अपने मेली-मददगारों व सहयोगियों तथा अपने गैंग के लोगों से निकटता बनाये रखने में सफल रहता है और वही से उसके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अपने सहयोगियों/गैंग के सदस्यों द्वारा थाना-विभूति खण्ड, लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0-15/2021, धारा-302/307/120बी/34 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अजीत सिंह पुत्र श्री राधेश्याम सिंह की हत्या किये जाने की सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया है। इसी प्रकार उसके जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध रहने के दौरान अपने सहयोगियों की मदद से ही अन्य घटनाओं को कारित कराये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त, लखनऊ द्वारा जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र श्री रूद्र प्रताप सिंह को जिला कारागार आजमगढ़ से अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

7- अतएव न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन के उपर्युक्त परामर्श एवं पुलिस आयुक्त, लखनऊ की आख्या के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर.128 सपठित.409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार चित्रकूट के विचाराधीन बंदी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र श्री रूद्र प्रताप सिंह, जो मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-4 आजमगढ़ के आदेश दिनांक 17.12.2019 के अनुसार सम्प्रति जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध है, को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार ललितपुर में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8- कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-06 /2021/233जेएल(1)/22-3-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3- पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट, आजमगढ़ एवं ललितपुर।
5- पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट, आजमगढ़ एवं ललितपुर।
6- अधीक्षक, जिला कारागार आजमगढ़ एवं चित्रकूट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी के जिला कारागार ललितपुर में स्थानान्तरित/दाखिल होने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।
7- अधीक्षक, जिला कारागार ललितपुर।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।